राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- F2(8)/Comp./GST/2017-18/368 दिनांकः- 30/8/17

आदेश

मण्डल के वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतिम लेखें तैयार कर आयकर विवरणिका दिनांक 30.09.2017 तक एवं जीएसटी के प्रावधानों के तहत जीएसटीआर-1 विवरणिका दिनांक 05.09.2017 तक दाखिल किया जाना वैधानिक बाध्यता है। अतः जिन खण्ड/वृत्त एवं मुख्यालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2016-17 के पूरक खाते, जून, 2017 तक की सेवाकर एसटी-3 रिटर्न की प्रति एवं जीएसटीआर-1 दाखिल किये जाने के लिये परिपत्र क्रमांक 358 दिनांक 24.08.2017 द्वारा वांछित सूचनाऐं संकलन प्रकोष्ठ/जीएसटी प्रकोष्ठ को प्रेषित नहीं की गई है उनके कार्यालयों के नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.08.2017, 02.09.2017 एवं 03.09.2017 को राजकीय अवकाशों के दिन भी कार्यालयों को सुचारू रूप से खोलकर उपरोक्त सूचनाऐं सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संबंधित प्रकोष्ठ में व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

सभी इकाईयों का Cleartax GST Software बाबत सामान्य प्रशिक्षण हो चुका है। परिपत्र क्रमांक 358 दिनांक 24.08.2017 तथा 365 दिनांक 30.08.2017 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन जारी किये जा चुके है, तथापि रिटर्न बाबत वांछित जानकारी/सूचना प्रेषित किये जाने में किसी भी स्तर पर कठिनाई हों रही हो तो इसके समाधान हेतु मण्डल मुख्यालय में दिनांक 31.08.2017 एवं 01.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होकर संबंधित अधिकारी/कार्मिक अपना संदेह निवारण कर सकते है।

उपरोक्त के बावजूद यदि GST Compliance में कोई भी लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय, जयपुर / द्वितीय, जोधपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... राजस्थान आवासन मण्डल।
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल।
6. लेखाधिकारी (भुगतान) प्रकोष्ठ मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता एवं प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट एवं सभी इकाईयों के ई-मेल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार